



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

अकादमी/संस्थान में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा

**Review of implementation of various safeguards and programmes
for development of Scheduled Tribes in the
Academy/Institution**

अकादमी/ संस्थान का नाम.....

Name of the Academy/Institution

अकादमी / संस्थान का पता.....

Address of the Academy / Institution.

वेबसाइट पता:.....

Website address :

मंत्रालय/राज्य जिसके अंतर्गत अकादमी / संस्थान कार्यरत है:.....

The name of the Ministry/State under which Academy/Institution is working:.....

1. सामान्य

General

(i) अकादमी के निदेशक/संस्थान के प्रमुख का नाम एवं पता का विवरण :

Detail of Name and postal address of the Director/ Head of Academy/Institution :

नाम :

Name :

पदनाम :

Designation :

पता :

Address :

दूरभाष कार्यालय : कार्यालय फ़ैक्स:..... मोबाइल:

Telephone : Office: _____ Fax _____ Mob:

ई-मेल:.....

E-mail ID :

- (ii) अकादमी/संस्थान में अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचना प्रस्तुत करने के लिए पदनामित अधिकारी का ब्यौरा:

Details of the Officer nominated as Liaison Officer for STs in the **Academy/** Institution or the Officer designated to furnish information to the NCST:

नाम :

Name :

पदनाम :

Designation :

पता :

Address :

दूरभाष कार्यालय : कार्यालय फ़ैक्स:..... मोबाइल:.....

Telephone : Office: _____ Fax _____ Mob:

ई-मेल:.....

Email ID :

कृपया प्रस्तुत करें
Please furnish

- (iii) अकादमी/संस्थान के शासी निकाय की संरचना। कृपया यह दर्शाए कि क्या शासी निकाय का कोई भी सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

The composition of the Governing body of the Academy/Institution. Please indicate whether any of the GB members belongs to ST.

- (iv) प्रशासनिक, परीक्षा, शैक्षिक, अनुसंधान एवं अन्य विभागों/संकायों इत्यादि को दर्शाते हुए अकादमी/संस्थान के संगठनात्मक गठन को दर्शाने वाला एक चार्ट।

A chart showing the **Organisational** set-up of the **Academy / Institution** indicating Administrative, Examination, Academic, Research and other Divisions/ faculties etc

- (v) अकादमी / संस्थान की शैक्षणिक परिषद् की संरचना और इसके कर्तव्यों, शक्तियों एवं कार्यपद्धति विशेषतया अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं, समस्याओं और विकास से संबंधित विषय के समावेशन तथा अकादमी / संस्थान में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में जनजातीय नेताओं तथा दाखिले में आरक्षण के संबंध में एक नोट।

A Note regarding Composition of the Academic Council of the Academy/ Institution and its duties, powers and functioning, particularly w.r.t. inclusion of subject relating to the needs, problems and development of Scheduled Tribes and the tribal leaders in various courses taught in the Academy/ Institution and reservation in admission.

- (vi) यदि अकादमी/संस्थान, जनजातीय क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र में या आसपास स्थित है तो कृपया अनुसूचित जनजातियों तथा स्थानीय/अन्य जनजातीय क्षेत्रों/अनुसूचित क्षेत्रों के ऐतिहासिक विकास/स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक तथा सशक्तिकरण की जरूरत और अन्य समस्याओं से संबंधित विषयगत मामलों पर शुरू किए गए शैक्षणिक पाठ्यक्रम किए गए अनुसंधान अध्ययनों का विवरण दें।

If the Academy/Institution is located in or around tribal area/Scheduled Area, please give details of the academic courses launched/ Research studies conducted on the subject matters relating to the historical development/ health, nutritional & educational and empowerment needs and other problems of the Scheduled Tribes and the local/ other Tribal Areas/ Scheduled Areas

- (vii) क्या निम्नलिखित अधिनियम/विनियम अकादमी/संस्थान के पाठ्यक्रम में है। यदि ऐसा है तो पाठ्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करे।

Whether the following Acts/Rules are taught in the Academy/Institution. If so, furnish the detail of curriculum?

- (a) भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244 (1))
Fifth schedule to the Constitution of India (Article 244(1))
- (b) भारत के संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 (2))
Sixth schedule to the Constitution of India (Article 244(2))
- (c) नागरिक अधिकार अधिनियम, 1995 (पीसीआर) का संरक्षण
Protection of Civil Right Act, 1995 (PCR)

- (d) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 (पीओए)
Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (POA)
- (e) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)
Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)
- (f) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए)
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA)
- (g) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

- (viii) अकादमी / संस्थान की स्थापना एवं अब तक के कामकाज में प्रगति के संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि युक्त एक नोट।

A Note containing historical background regarding establishing the Academy/ Institution and developments upto present day functioning.

- (ix) कृपया युवा सिविल सेवकों/अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में विवरण प्रस्तुत करें।

Please furnish details regarding the training modules at different levels to make young civil servants/officials sensitive to the needs of Scheduled Tribes.

- (a) फ़ाउंडेशन पाठ्यक्रम
Foundation course
- (b) मिड कैरियर प्रशिक्षण
Mid Carrier Training

- (x) क्या युवा आधिकारिक प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त करना (भेजना) शामिल है, जिससे वे लोग इन समूहों द्वारा दिन-प्रतिदिन सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। यदि नहीं, तो कृपया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल न करने का कारण दें।

Whether the training curriculam include assigning young official

trainees to tribal areas in order to get first hand experience about the challenges faced by these groups of peoples on day to day basis. If yes, please give details. if not, please give the reasons for not including in the training curriculum?

(xi) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई अंतिम समीक्षा की तारीख.....

Last Review by National Commission for Scheduled Tribes held on

(xii) अंतिम समीक्षा में आयोग द्वारा किए गए अवलोकनों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, आयोग को प्रस्तुत करने की तारीख.....

Action taken report (ATR) on the observations made by the Commission in the last review, furnished to Commission on

कृपया प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

(Please attach a copy of the ATR submitted

2. अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक दावों का सत्यापन

Verification of genuine claims of Scheduled Tribes

(A) अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के वास्तविक दावों की जांच करने की प्रक्रिया क्या है:

What is the procedure for examination of genuine claims of ST candidates :

(i) प्रारंभिक भर्ती पर

On Initial recruitment.

(ii) पदोन्नति पर

On Promotion

(iii) कर्मचारी के सेवा के दौरान शिकायत प्राप्त होने पर

On Receipt of complaint during the service of the employee.

(B) कृपया बताएं

Please state:

(क) क्या अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से संबंधित/प्रवासित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की पात्रता या अपात्रता, विज्ञापन में/आवेदन आमंत्रित करने वाले परिपत्र में स्पष्ट की गयी है?

(a) Whether eligibility or ineligibility of ST candidates belonging to / migrated from other States/ UTs is made clear in the advertisement/ Circular inviting applications

(ख) क्या यह भी उल्लेख किया गया है कि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आवेदन/नियुक्ति के पहले उम्मीदवार की जाति प्रमाण पत्र की वैधता, जारी करने वाले राज्य की जाति प्रमाण पत्र संविधा समिति द्वारा की जानी आवश्यक है।

(b) Whether it is also mentioned that, as per directions of the Supreme Court of India, validation of caste certificate of the candidate by the caste certificate scrutiny Committee of the State of issue is a must, before applying/ appointment is compulsory.

- (C) कृपया अंतिम तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान जांच किए गए दावों की संख्या तथा भर्ती के समय मूल रूप से पाए गए नकली/जाली दावों की सूची तथा प्रत्येक मामलों में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।

Please furnish the number of claims checked and the list of claims actually found false/ fake at the time of recruitment and the action taken in each case during last three calendar years.

- (D) कृपया अंतिम तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान पदोन्नति के समय पाए गए नकली/जाली दावों की सूची तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।

Please furnish list of claims found false/fake at the time of promotion and the action taken in each case during last three calendar years.

- (E) कृपया अंतिम तीन वर्षों के दौरान उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिसमें अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति सूची से उनके समुदाय को हटा देने के कारण अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के रूप में पदोन्नति के लिए अपात्र पाए गए थे।

Please furnish list of cases in which ST candidates were found in-eligible for promotion as ST candidates due to deletion of their community from ST list, during last three calendar years.

- (F) कृपया अंतिम तीन वर्षों के दौरान उन कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध जाली/नकली/धोखाधड़ी आधार पर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवा के दौरान शिकायत प्राप्त की गई, प्रत्येक मामले में कार्रवाई की गई (जांच की गई) और सत्य पाए जाने वाले शिकायतों में सक्षम प्राधिकारी/अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा अंतिम निपटान निर्णय लिया गया।

Please furnish details of employees against whom complaints were received during service for obtaining employment as ST candidates on false/ fake/ fraudulent basis during last three calendar years, action taken (investigation made) in each case and the final disposal/ decision taken by the competent authority/ disciplinary authority in the event of the complaint having been found true.

3. अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण

Service Safeguards for Scheduled Tribes

3.1 रोजगार स्थिति

Employment status

(क) अकादमी / संस्थान

(a) Academy/Institution

- (i) कृपया निम्नलिखित तालिका में आपके अकादमी/संस्थान की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सहित समूहवार क्षमता इंगित करें :

Please indicate the Group-wise strength of your Academy/ Institution only along with the representation of Scheduled Tribes in the following Tables:

तालिका 1
TABLE 1

(02/07/1997 के अनुसार)
(As on 02/07/1997)

क्रं.सं S. NO.	पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employee s in position	उनमें में अ.ज. जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employee s among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A')					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung					
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B'					

	(Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)					
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस-सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)					
7.	समूह 'ग' (एमटीएस-सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies					
	कूल Total					

तालिका 2
TABLE 2

(01/01/2014 के अनुसार)
(As on 01/01/2014)

क्र.सं S. NO.	पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employee s in position	उनमें में अ.ज. जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employee s among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर)					

	Group 'A'(other than lowest rung of group'A')					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung					
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)					
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस-सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)					
7.	समूह 'ग' (एमटीएस-सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS-Safai Karamcharies) Safai Karamcharies					
	कूल Total					

तालिका 3
TABLE 3

(01/01/2023 के अनुसार)
(As on 01/01/2023)

क्रं.सं S. NO.	पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employee s in position	उनमें में अ.ज. जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employee s among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A')					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung					
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)					
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस-सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai					

	Karamcharies)					
7.	समूह 'ग' (एमटीएस-सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies					
	कूल Total					

3.2 रोस्टर्स का रख-रखाव Maintenance of Rosters

- (i) क्या डीओपीटी के दिनांक 19/01/2007 के का.ज्ञा संख्या 14017-2-1997 स्था(आरआर) के अनुसार एक पद को सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने की पहचान से संबंधित नियम का अनुसरण किया जा रहा है।

Whether rule relating to identification of a vacant post to be filled by DR or promotion was being followed as per DoPT OM No. 14017_2_1997_Estt(RR) dated. 19/01/2007

रिक्त पद (पदों) की भर्ती के तरीके की पहचान के बाद निर्धारित पद आधारित रोस्टर्स के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकृत आरक्षण की गणना की जाएगी। कृपया दर्शाएं कि क्या प्रत्येक पद या पदों के समूह के लिए अलग-अलग रोस्टर रखे जा रहे हैं।

After identifying the mode of recruitment of the vacant post(s), reservation entitlement for ST has to be worked out through prescribed Post Based Rosters. Please state whether separate rosters are being maintained for each post or group of posts separately for

(क) सीधी भर्ती

(ख) पदोन्नति द्वारा भरे गए पद (जहां आरक्षण लागू है)?

कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

(a) direct recruitment

(b) posts filled by promotions (where reservation is applicable)?

Please furnish details.

- (ii) अकादमी / संस्थान ने तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की श्रेणियां क्या है जिसके लिए एससी/एसटी के लिए आरक्षण में छूट है या आरक्षण विहित नहीं किया गया है और उसके कारण? पदों की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए स्तर, वेतन श्रृंखला और ऐसे पदों की संख्या को भी इंगित करते हुए अलग-अलग सूचना दी जाए

What are the categories of posts both technical and non-technical in the Academy/Institution, for which reservation for SC/ST is exempt or reservation has not been prescribed and the reasons thereof? Information may be given separately for direct recruitment and promotion of posts indicating also the level, pay scales and number of such posts.

- (iii) क्या पृथक रूप से आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जा रहा है—
(क) स्थायी नियुक्ति और स्थायी होने के लिए संभावित या अनिश्चितकाल तक जारी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियां
(ख) तदर्थ नियुक्तियों और 45 दिनों या अधिक अवधि की विशुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों
(ग) बाह्य स्रोतों/संविदाओं के माध्यम से की गई नियुक्तियां। कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Whether reservation rosters are also being maintained separately for

- (a) permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or continue indefinitely
(b) Ad-hoc appointments and purely temporary appointments of 45 days or more duration?
(c) Appointments made through outsourcing /contracts

Please furnish details.

- (iv) क्या रोस्टर प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो किन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है और यदि नहीं, तो वह समय सीमा जब इसे स्थापित किया जाएगा?

Whether steps have been taken to computerize the roster system? If yes, what difficulties are being faced and if not, the time-frame by which it will be established?

- (v) क्या प्रत्येक भर्ती वर्ष के अंत में रोस्टर पंजिका में आगे ले जायी गयी/कमी/बैकलॉग/आरक्षित रिक्तियों की अधिकता का सारांश दिया गया है?

Whether summary of the carry forward/ shortfall/ backlog/ excess of reserved vacancies is given in the roster register at the end of each recruitment year?

- (vi) क्या रोस्टरों के रख-रखाव के लिए सीधी भर्ती में पदों के समूहीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है? यदि हां, तो कृपया समूहीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कवर होने वाले उनके वेतनमान के साथ पदों को इंगित करते हुए ब्यौरा दें। कृपया उस प्राधिकारी को भी इंगित करें जिसने पदों

के समूहीकरण का अनुमोदन किया था।

Is the procedure of grouping the posts in the direct recruitment adopted for maintaining rosters? If so, please give details indicating the posts with their pay scale covered under the grouping procedure. Also, please indicate the authority that approved the grouping of posts.

3.3 (a) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में छूट एवं रियायतें

Relaxations and Concessions in Direct Recruitment and Promotions

- (i) कृपया सीधी भर्ती के मामले में और समूह 'ग', 'ख' और 'क' में तथा समूह 'क' के अंदर पदों पर पदोन्नति देते समय अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध रियायतों के प्रावधान को इंगित करें।

Please indicate the provision of concessions available to STs in the matter of Direct Recruitment and while making promotion to posts in groups 'C', 'B' and 'A' and within Group 'A'.

- (ii) क्या सेवाओं में आरक्षण पर डीओपीटी विवरणिका में निहित अद्यतन निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Whether up-to-date instructions contained in the DoPT brochure on reservation in services is being followed?. A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

(b) वरिष्ठता

Seniority

- (iii) कृपया पूर्व में पदोन्नत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वरिष्ठता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16(4ख) के अंतर्गत प्रावधान के कार्यान्वयन, जिसके लिए संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसरण में डीओपीटी के दिनांक 21.01.2002 के का. ज्ञा. द्वारा निर्देश भी अधिसूचित किए गए हैं के लिए प्राप्त शिकायतों का आकार और, उसमें आ रही कठिनाइयों को, यदि कोई हैं तो, इंगित करें।

Please indicate the size of complaints received for, and the problems if any being faced in, implementing the provision under Article 16 (4b) of the Constitution, relating to consequential seniority of ST employees promoted earlier, for which instructions have also been notified vide DoPT O M dated 21.01.2002.in persuasion of the Constitution (85th) Amendment Act, 2001.

**3.4 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण (डी-रिजर्वेशन)
Dereservation of posts reserved for STs**

- (i) कृपया 2003-04 से पूर्व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के अनुसूचित जातियों के साथ परस्पर अदला-बदली एवं इसके विलोमतः ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Please furnish the details of the posts reserved for STs inter-changed with SCs and vice-versa after 2003-04.

- (ii) कृपया निम्नलिखित तालिका 4 में पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति एवं सीधी भर्ती में, यदि कोई है तो, विभिन्न पदों के अनारक्षण के लिए अनुमोदन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजे गए प्रस्तावों (मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रण के अधीन समीक्षाधीन) के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया था और पदों को अनारक्षित किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके कारण स्पष्ट करें और प्राधिकारी का ब्यौरा दें जिसने पदों को अनारक्षित किया था।

Please furnish the details in the following **TABLE 4** regarding proposals for dereservation of various posts, (under the Control of the Ministry/ Department/ Organisation under review) in promotion and direct recruitment, if any, sent to the Deptt. of Personnel & Training & the National Commission for Scheduled Tribes for approval during last three years . In case dereservation proposal was not submitted to the National Commission for Scheduled Tribes, and post were dereserved, please explain the reasons thereof and the authority who had de-reserved the posts

तालिका 4
TABLE 4

क्र.सं० S.No.	पद का नाम Name of post	ग्रेड और वेतनमान Grade and Pay Scale	अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी गई अ.ज. जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of ST reserved vacancies filled from other category candidates	कैलेंडर वर्ष जब अ.ज. जा.रिक्त उत्पन्न हुई Calendar year when ST vacancy arose	क्या अनारक्षित के रूप में परिचालित करने से पहले अनारक्षण के लिए डीओपीटी और एनसीएसटी दोनों का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया अथवा नहीं Whether specific approval both of DoPT and NCST was received for dereservation before circulating as unreserved	यदि स्तंभ (6) का उत्तर नहीं है तो कृपया अनारक्षण का अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी एवं उसके आधारों को इंगित करें। If answer under Col. (6) is no, please indicate the Authority which approved dereservation and the grounds thereof.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

--	--	--	--	--	--	--

3.5 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया
Selection procedure for appointing ST candidates

- (i) कृपया इंगित करें कि क्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग तारीखों अर्थात् विभिन्न पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों को लिया जाता है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether the Scheduled Tribe candidates are interviewed on separate dates i.e. other than the days on which the general candidates are interviewed for various posts? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

- (ii) कृपया इंगित करें कि क्या उन पदों के लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए छूट/रियायतें लागू हैं। यदि हां तो कृपया भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के अन्य सदस्यों की तुलना में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का स्तर इंगित करें। इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether any representative of Scheduled Tribes is included in various Recruitment Boards/ Selection Committees/ DPCs for the posts wherein reservations/ concessions for Scheduled Tribes are applicable? If, so, the level of ST representative as compared to the other members of the Recruitment Board/ Selection Committees/ DPCs may please be indicated? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

- (iii) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या किसी अवसर पर कार्रवाइयों में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि(यों) का विसम्मति नोट रिकॉर्ड किया गया?

Please also indicate whether at any occasion, the ST representative(s) recorded note of dissent in the proceedings?

- (iv) कृपया बताएं कि क्या सीधी भर्ती के लिए विज्ञापनों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है? कृपया बताएं कि क्या विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ और संगठनों को भेजी जाती है?

Please state whether the number of posts reserved for ST is clearly indicated in the advertisements for direct recruitment? Please state whether copies of advertisements are sent to Welfare Association and Organisations of Scheduled Tribes?

3.6 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

HRD and Training

- (i) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उनकी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु अतिरिक्त सहयोग/प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए अकादमी / संस्थान की कोई मानव संसाधन विकास नीति है? ऐसे प्रावधानों का कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए विवरण दिया जाए।

Whether Academy/Institution has any HRD policy to provide extra support/training to ST employees to enable them to cover up their deficiencies?. The details of such provisions may be spelt out for each category of employee.

- (ii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक/स्थापना से विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या बताएं।

Please give the number of employees sent for specialized training abroad during the last three years and the number of Scheduled Tribes employees among them in each year.

3.7 भर्ती नियमों में संशोधन

Amendment of Recruitment Rules

डीओपीटी के दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के का.ज्ञा. सं० 36012/17/2002-स्थापना(आ.) का पैरा 3क (iv) प्रावधान करता है कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों की आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जा सकती हैं और बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जायी जाती हैं और अनुवर्ती भर्ती वर्ष में भी रिक्त रहती हैं, उन्हें जब तक उस श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं ली जाती जिसके लिए वे आरक्षित हैं पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जाया जाएगा। इसी प्रकार उसी कार्यालय ज्ञापन का पैरा 4 प्रावधान करता है कि यदि आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं होता है तो उस संवर्ग में जब कभी भर्तियां की जाती हैं, आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार, इस कारण से पद आधारित आरक्षण के मामले में आरक्षण ऐसे व्यपगत नहीं होगा कि आरक्षित पदों को वर्षों की एक विनिर्दिष्ट संख्या में भरा नहीं जा सका था।

पद आधारित रोस्टर के संबंध में डीओपीटी के अनुदेश, पदोन्नति से सीधी भर्ती और इसके विलोमतः आरक्षित बिन्दु के विनिमय का प्रावधान भी करते हैं यदि भर्ती के खास तरीके से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों। इन निर्देशों के दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के आगमन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों को संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। कृपया पद आधारित रोस्टरों को लागू करने के बाद मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन विभिन्न पदों के संबंध में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करने हेतु उठाये गये कदमों को इंगित करें।

Para 3 A (iv) of the DoPT OM No. 36012/17/2002-Estt.(Res) dated 6th November, 2003 provides that if vacancies reserved for SCs/STs/OBCs cannot be filled up and are carried forward as backlog vacancies and remain unfilled in the following recruitment year also, they will be carried forward as backlog vacancies for subsequent recruitment year(s) as long as these are not filled by candidates of the category for which these are reserved. Similarly, Para 4 of the same OM stipulates that if reservation quota is not complete, efforts would be made to complete the reservation quota whenever the recruitments are made in the cadre. Thus, reservation would not lapse in case of post based reservation for the reason that reserved posts could not be filled for a specified number of years.

The DoPT instructions regarding Post Based Roster also provide for exchange of reserved point from promotion to Direct Recruitment and vice-versa, if suitable candidates are not available from a particular mode of recruitment. In view of these directives it becomes necessary to amend the Recruitment Rules of various posts to facilitate induction of ST candidates against vacancies reserved for Scheduled Tribes. Please indicate the steps taken to amend the Recruitment Rules, to meet this objective in respect of various posts under the control of the Ministry/ Department/ Organisation, after induction of the Post Based Rosters.

3.8 आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली एवम आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र

Monitoring System for implementation of reservation policy and Mechanism for Redressal of grievances.

(a) आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली

Monitoring System for implementation of reservation policy

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अकादमी / संस्थान और अकादमी / संस्थान के नियंत्रणाधीन संगठन में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का उचित रूप से कार्यान्वयन हो, आपके अकादमी / संस्थान द्वारा क्या जांच युक्ति अपनायी जाती है?

What are the checks devised by your Academy/Institution to ensure that the reservation policy for STs is implemented properly in the Academy/Institution and also in the Organisations under the control of the Academy/Institution ?.

- (ii) अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

What is the procedure prescribed for redressal of grievances of Scheduled Tribes employees?

- (iii) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने एवं मॉनिटर करने के लिए शिकायत पंजिका रखी जा रही है?

Whether a complaint register is being maintained in order to register and monitor the grievances of ST employees?

- (iv) क्या कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है या नहीं? यदि नहीं तो इसको स्थापित करने के लिए समय सीमा बताएं।

Whether Computerized Grievance Management System is being implemented or not?, if not, time frame for its establishment.

- (v) क्या संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? यदि हां तो, कृपया इस प्रकोष्ठ की संरचना को इंगित करें।

Has a Scheduled Tribes Cell been set up under the direct control of Liaison Officer? If so, please indicate the composition of this cell.

- (vi) कृपया मुख्यालय में और आपके अकादमी / संस्थान के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी का नाम, पदनाम, फोन/फैक्स नम्बर तथा ई-मेल पते इंगित करें।

Please indicate the name, designation, phone/ FAX number and e-mail addresses of the Chief Liaison Officer/ Liaison Officer in the Hq. Office of the Attached/ Sub-Ordinate Office under the control of your Academy /Institution.

- (vii) क्या आपका अकादमी / संस्थान अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का निपटान करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करता है? कृपया ऐसी बैठकों का ब्यौरा/बारम्बारता प्रस्तुत करें। संघ के साथ अंतिम बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करें।

Does your Academy/Institution hold periodical meetings with recognized Scheduled Tribes employees/ ST Employees Welfare Association to sort out their problems and grievances? Please furnish details/ frequency of such meetings. The minutes of the last meeting with the Association may be enclosed.

- (viii) कृपया तालिका 5 में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके साथ भेदभाव के संबंध में प्राप्त एवं निपटायी गयी शिकायतों की संख्या के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करें :

Please furnish details in the following **TABLE 5** about the number of complaints received and disposed off in respect of discrimination or violation of rights of ST employees:

तलिका 5
TABLE 5

वर्ष Year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति एवं निपटान Nature of complaints received and disposal during the year						
		पदोन्नति Promotion	वरिष्ठता Seniority	स्थानान्तरण Transfer	प्रशिक्षण सहित एचआरडी HRD including Training	उत्पीड़न के अन्य प्रकार Other type of harassment	कुल TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
कुल TOTAL	सं. No.						
	निपटान Disposal						

- (ix) क्या अनुसूचित जनजाति महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला अकादमी / संस्थान के ध्यान में लाया गया है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा और की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Has any case of sexual harassment of ST women employees been brought to the notice of the Academy/Institution? If so, please furnish the details thereof and action taken.

- (b) क्या आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है और संगठन में कार्यरत हैं ।
Whether internal grievance redressal mechanism is put in place and functional in the Organisation

- (i) प्राप्त शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष)
Number of grievances received (Last Year)
- (ii) निवारण शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष)
Number of grievances disposed (Last Year)
- (iii) लंबित शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष)
Number of grievances pending (Last Year)

4. **अन्य संबंधित मुद्दे**
Other related issues

- (i) कृपया इस विषय पर कर्मचारी संघ या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के साथ स्थानान्तरण नीति एवं समझौते के ज्ञापन का एक सेट प्रस्तुत करें।

Please furnish a set of transfer policy and Memorandum of agreement with the Employees Union or SC/ ST Employees Associations on the subject.

- (ii) क्या स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संरक्षण से संबंधित डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है?

स्थानान्तरण नीति एवं पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए मामलों पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

Whether instructions issued by DoPT regarding protection to ST employees in the matter of transfer and postings are being followed?

A brief note on the transfer policy and the cases dealt in the last five years may be furnished.

- (iii) कृपया यह भी बताएं कि क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आपके संगठन में रोजगार प्राप्त किया है?

यदि हां तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति इंगित करें।

कृपया ऐसे मामलों को घटित होने से टालने के लिए उठाये गये कदमों को भी इंगित करें।

Please also state whether instances have come to the notice where persons have obtained employment in your organization on the basis of false caste certificate?